Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **सवाईमाधोपुर में पुलिस थाना पिलौदा का हैड कानिस्टेबल एवं उसका दलाल 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *28 अगस्त, रविवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर सवाईमाधोपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये जगदीश सिंह हैड कानिस्टेबल, पुलिस थाना पिलौदा, जिला सवाईमाधोपुर को उसके दलाल राजूलाल शर्मा (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से परिवादी से **10 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की सवाईमाधोपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके विरूद्ध दर्ज मुकदमें में मदद करने की एवज में अनुसंधान अधिकारी जगदीश सिंह हैड कानिस्टेबल, पुलिस थाना पिलौदा, जिला सवाईमाधोपुर द्वारा उसके दलाल राजूलाल शर्मा (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से **20 हजार रुपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, सवाईमाधोपुर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज एसीबी करौली इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री अमर सिंह** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये जगदीश सिंह पुत्र श्री समन्दर सिंह निवासी ग्राम जाहिरा, पुलिस थाना बामनवास, जिला सवाईमाधोपुर हाल हैड कानिस्टेबल, पुलिस थाना पिलौदा, जिला सवाईमाधोपुर को उसके दलाल राजूलाल शर्मा पुत्र श्री रामगोपाल निवासी सैंवाला, पुलिस थाना पिलौदा, जिला सवाईमाधोपुर (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से परिवादी से **10 हजार रुपये की रिश्वत** राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।